09-05-2022

Dainik Savera

‘Warning’, a must on unhealthy packaged foods

अनहैल्दी पैकेज्ड फूड्स पर 'चेतावनी' अनिवार्य तौर पर लगाई जाए

कंज्यूमर वॉयस के पदाधिकारी अनहैल्दी फूड, ड्रिंक प्रोडक्ट पर 'हेल्थ स्टार रेटिंग' लगाने की मांग करते हुए।

चंडीगढ़ (राकेश शर्मा): न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (एनएपीआई) द्वारा आज 'अनहैल्दी फूड,ड्रीक प्रोडक्ट पर फंट-ऑफ-पैक लेबलिंग ' पर अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए अपना मत जारी किया है। न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट के कन्वीनर डॉ .अरुण गुप्ता ने पोजीशन स्टेटमेंट पेश करते हुए कहा कि एनएपीआई में हम मानते हैं कि एफएसएसएआई अपने दृष्टिकोण और अनहेल्दी फूड,ड्रीक प्रोडक्ट पर 'हेल्थ स्टार रेटिंग' को शामिल करने के निर्णय दोनों में गलत हो गया है। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देश भर के प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ता निकाय इस गैर-जिम्मेदाराना कदम के खिलाफ एक साथ आए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले 22 भारतीय संगठनों द्वारा समर्थित, यह बयान भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की हाल ही में घोषित योजनाओं का कड़ा विरोध करता है, जिसमें 'वार्निंग लेबल' के बजाय 'हेल्थ स्टार रेटिंग' को नमक, चीनी या वसा में उच्च पैकेज्ड फूड के लिए ऑफ-पैक लेबल फंट के रूप में अपनाया जाए। आशिम सान्याल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कंज्यूमर वॉयस ने कहा कि हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सात साल की लंबी लड़ाई को हरा देगा और उन्हें स्वस्थ विकल्पों के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए सूचित निर्णय लेने में मदद करेगा। हेल्थ स्टार रेटिंग उपभोक्ताओं को गलत सूचना देगी और उद्योग को अपने उत्पादों में सुधार के लिए बाध्य नहीं करेगी। दूसरी ओर, एक चेतावनी लेबल अनहेल्दी फूड्स के उपभोक्ताओं द्वारा तत्काल पहचान है। स्वस्थ खाद्य पदार्थ चुनने के बारे में निर्णय लेने के लिए उपभोक्ताओं को एक हितधारक बनना चाहिए।

दैनिक सवेरा Mon, 09 May 2022
epaper.dainiksaveratimes.org/